17982

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI

C 041872

विवेक मित्तल

न्यास पत्र

ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार न्यास

यह सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) का अनुबन्ध पत्र [Deed of Public Trust] आज दिनांक १९-१२-२००६ को श्री विवेक मित्तल पुत्र श्री प्रताप कुमार मित्तल आयु ४० वर्ष पता- के०ई०-८१, कविनगर, गाजियाबाद द्वारा निष्पादित किया गया है।

माँ सरस्वती की प्रेरणा से शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मैं विवेक मित्तल सर्वसाधारण के हितार्थ विशेष रूप से अपने समाज के कमजोर उपेक्षित निर्धन वर्ग की सेवा के भाव से एक सार्वजनिक धमार्थ न्यास का निमार्ण कर रहा हूँ।

इस निमित्त में अपने पास से रुपये ५,०००/- (पाँच हजार) मात्र देकर न्यास का निमार्ण करता हूँ।

इस पुनीत कार्य मे मैं अपने सहित निम्न बन्धुओ को प्रन्यासी मनोनीत करता हूँ:-

नाम	पिता का नाम	पता
१. मुकेश कुमार	श्री कालु राम	के०ई०-८१, कविनगर, गाजियाबाद
२. विशाल राजवंशी	श्री जे०के० राजवंशी	२९, जामुन मोहल्ला, लाल कुर्ती, छोटा बाजार, मेरठ कैण्ट।
३. अनुप कुमार अग्रवाल	श्री फकीर चन्द अग्रवाल	६८१/२३, ब्रहमपुरी (पान्डया), मेरठ कैण्ट
४. राकेश कुमार	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	२३, मोहल्ला पुरा, पिलखुवा
५. कमल गर्ग	श्री रिशि राज गर्ग	३७ बी, मेवला, नियर शिवॉय पेट्रोल पम्प, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ
६. अमिता रानी गर्ग	श्री अनिल कुमार गर्ग	४३१, पन्डाया, ब्रहमपुरी, दीप नरसिंग होम के पीछे, मेरठ
७. डा. मैराजुद्दीन अहमद	श्री हकीम सैफुद्दीन अहमद	२५४, बनी सराय, मेरठ
८. राकेश बंसल	श्री मदन लाल बंसल	शिवाजी नगर, पिलखुवा
९. शशि बंसल	श्री राकेश बंसल	शिवाजी नगर, पिलखुवा

RegNo. 17982 Date 19/12/2006

Deed Related Detail

Deed Name TRUST

18 DEC 2006

Land Detail

Tehsil/Sub Tehsil Sub Registrar VIII Area of Building 0

Village/City Laxmi Nagar Building Type

Place (Segment) Laxmi Nagar

Property Type Residential

Area of Property	0.00	0.00	0.00

Money Related Detail

Consideration Value 1,000.00 Rupees Stamp Duty Paid 400.00 Rupees

Value of Registration Fee 3.00 Rupees Pasting Fee 1.00 Ruppes

Presented by: Sh/Smt. S/o, W/o R/o

Vivek Mittal Pratap Kumar Mittal KE-81, Kavi Nagar Ghaziabad UP

in the office of the Registrar Sub Registrar, Delhi this 19/12/2006 day Tuesday between the hours of

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar VIII
Delhi/New Delhi

Signature of Presenter

Execution admitted by the said Shri/Smt Vivek Mittal

and Shri/Smt./Km. Other

Who is/are identified by Shri/Smt/Km. Rajeev Singh S/o W/o D/o Karam Singh R/o 121, Mansi Vihar Sanjay Nagar Delhi

and Shri/Smt./Km C P Srivastava S/o W/o D/o ADV. R/o 205, Shastri Nagar Delhi

(Marginal Witness). Witness No. II is known to me.

Contents of the document explained to the parties who understand the conditions and admit them as correct.

SEAL OF SUB-REGISTRAR

Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar VIII
Delhi/New Delhi

Date 19/12/2006

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI C 041873

१०. कन्हैयालाल बंसल	श्री मदन लाल बंसल	शिवाजी नगर, पिलखुवा
११. नरेन्द्र त्यागी	श्री बाबुराम त्यागी	गाँव बसंतपुर सैंथली, मुरादनगर
१२. आनन्द कुमार गोयल	श्री बाबुलाल आर्य	३४३, नवलपुरा ककराला, खुर्जा
१३. विकास गोयल	श्री बाबुलाल आर्य	३४३, नवलपुरा ककराला, खुर्जा
१४. पियूष मित्तल	श्री विष्णु प्रकाश मित्तल	के०सी०-२१, कविनगर, गाजियाबाद
१५. अवधेश कुमार अग्रवाल	श्री राजाराम	बकालन स्ट्रीट, धामपुर
१६. महेश सिंहल	श्री गनपत राय	बजार बजाजा, पिलखुवा
१७. शारदा सिंह	श्री एच०एस० सिंह	६/१४७, विकास नगर, लखनऊ
१८. राजीव कंसल	श्री इन्द्रभुषण कंसल	के०सी०-२५, कविनगर, गाजियाबाद
१९. निमित बंसल	श्री चन्द्र प्रकाश बंसल	३/२५०, अनाज मंडी, शाहदरा,
२०. विकास दत्त बंसल	श्री रविन्द्र दत्त बंसल	कोटला हाउस, मोहल्ला गंज, फिरोजाबाद।
२१. रतन लाल गर्ग	श्री किशन लाल गर्ग	IIB-११, नेहरू नगर, गाजियाबाद
२२. निखिल गर्ग	श्री रतन लाल गर्ग	IIB-११, नेहरू नगर, गाजियाबाद
२३. राजेन्द्र कुमार गर्ग	श्री किशन लाल गर्ग	के०ई०-३१, कविनगर, गाजियाबाद
२४. वन्दना गर्ग	श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग	के०ई०-३१, कविनगर, गाजियाबाद
२५. संदीप गर्ग	श्री राजभवन गर्ग	६/७७, चिरंजीवी विहार, गाजियाबाद
२६. किशन कुमार	श्री एस०पी० गुप्ता	डी-४४५, शास्त्री नगर, गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI

C 041874

यही ट्रस्टीगण ट्रस्ट के प्रथम प्रन्यासी मण्डल के सदस्य माने जायेगें । अत: इस न्यास पत्र के माध्यम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास (ट्रस्ट) की घोषणा करता हूँ इस न्यास की शर्तें तथा नियम [Terms and Conditions] निम्न रहेंगे:-

१. इस न्यास का नाम **ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार न्यास** रहेगा।

१. न्यास का पंजीकृत कार्यालय ई०-४४ ए विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - ९२ रहेगा एवं न्यास का उप कार्यालय सम्पूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी हो सकता है।

३. उपरोक्त आकांक्षा की पूर्ति निमित्त तथा ट्रस्ट के धर्मार्थ उद्देश्यों [Charitable Objects] जो नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं कि पूर्ति हेतु एवं न्यास का कार्य चलाने निमित्त न्यास के निर्माण कर्ता ने ५,००० /- (पाँच हजार) मात्र जो राशि दी है वह ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी, इस सम्पत्ति को किसी दशा मे वापस नहीं लिया जा सकेगा ।

४. **ट्रस्ट का कोष** : उपरोक्त रुपये ५,०००/- (पाँच हजार) के साथ अन्य सहयोगी राशियां दान भेंट, ब्याज, किराया अन्य किसी प्रकार की आय जो न्यास को समय-समय पर प्राप्त होगी ट्रस्ट का कोष मानी जायेगी।

५. **ट्रस्ट का उद्देश्य** : प्रन्यासीगण भारत में सर्वसाधारण के धर्मार्थ हितों के लिए न्यास की सम्पत्ति और न्यास की आय का उपयोग करेगें। न्यास द्वारा चलने वाले सेवा कार्यों में किसी नागरिक से उसके सम्प्रदाय, जाति, पन्थ, रंग आदि के कारण भेद नही किया जा सकेगा और ना ही किसी विशेष पंथ, सम्प्रदाय के हितों के लिए कार्य किया जायेगा। न्यास के कार्यों का उद्देश्य किसी भी प्रकार आर्थिक लाभ अर्जन करना नहीं होगा वरन् समस्त कार्य धर्मार्थ सेवाभाव से ही किये जायेंगे न्यास के निम्न उद्देश्य है:

(१) प्रर्यावरण- समाज को दुषित होते प्रर्यावरण के प्रति जागरूक करनें के लिए गोष्ठीया करना, पेड़ लगाना, वनस्पति उद्यान लगाना एवं लगाने के लिए प्रेरित करना । सरकारी कार्यक्रमों का जनता में प्रचार करना आदि।

(२) जल संचयन- गिरते हुए भूजल को रोकने हेतु प्रयास करना जिसके लिए समाज को जागरूक करना। जल संचयन के लिए समाज में जागरूकता लाना एवं इस हेतु सुविधाऐं प्रदान करना तथा सरकारी कार्यक्रम से जनता को अवगत कराना आदि।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI C 041875

{३} नारी सशक्तिकरण- समाज में नारी सशक्तिकरण हेतु जागरूकता लाना जिसके लिए नारी समूह बनाना एवं उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना तथा उनके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि।

{४} समाज में शिक्षा संस्कार एंव स्वास्थ्य के विकास के लिये कार्य करना विशेष रूप से प्राविधिक एंव व्यावसायिक पाठ्यक्रमो हेतु। इस निमित्त विद्यालय, कोचिंग कक्षायें, प्राविधिक {टैक्नीकल} शिक्षा केन्द्र छात्रावास, शिक्षा पर गोष्ठीयां, अध्यापक शिक्षण वर्ग आदि चलाना अथवा इनको सुचारू रूप से चलाने मे अन्य सम उद्देश्य वाली संस्थाओ का सहयोग करना, उनकी आर्थिक सहायता करना, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। कृषि तथा कृषि शिक्षा से सम्बंधित कार्य करना।

{५} संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति में सहायक व्यक्तियों, संस्थाओं को आर्थिक, नैतिक सहयोग देना तथा उनसे प्राप्त करना। वह सभी कार्य करना जो न्यासीमंडल की दृष्टि में न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

६. <u>संस्थान का प्रबन्ध एवं संचालन</u> :

{१} संस्था का प्रन्यासी मण्डल संस्था के कोष एवं संचालन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। प्रन्यासीमण्डल अपने में से आठ सदस्यीए कार्यसमिति (**Managing Committee**) का गठन करेगा।

{२}१ कार्यसमिति का स्वरूप निम्न प्रकार रहेगा एवं इसका प्रथम कार्यकाल निम्न शर्तों सहित पाँच {५} वर्ष रहेगा तदोपरांत इसका कार्यकाल {२} वर्ष रहेगा:-

१. मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष २. अध्यक्ष ३. उपाध्यक्ष ४. मंत्री
५. वित्त नियंत्रक ६. सह मंत्री ७. दो सदस्य

{२}२. प्रथम नामित कार्यसमिति के सदस्य निम्न रहेंगे:-

१. मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष	-	श्री विवेक मित्तल।
२. अध्यक्ष	-	श्री मुकेश कुमार।
३. उपाध्यक्ष	-	डॉ० मैराजुद्दीन अहमद।
४. मंत्री	-	श्री राजीव कंसल।
५. वित्त नियंत्रक	-	श्रीमति शारदा सिंह।
६. सह मंत्री	-	श्री रतन लाल गर्ग।
७. सदस्य	-	श्री राकेश बंसल।
८. सदस्य	-	श्री पियूष मित्तल।

(३) कार्यसमिति न्यास एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थानों के संचालन के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत होगी एवं कार्यसमिति के दायित्व एवं अधिकार निम्न होंगे-

(३)१. **मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार:**

१. न्यास एवं न्यास से सम्बंधित संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना एवं लागु करना।
२. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना।
३. न्यास के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु न्यास हित में निर्णय लेना एवं न्यास एवं न्यास से सम्बंधित संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना।
४. न्यास के कार्यों हेतु शासन, प्रशासन एवं सम्बंधित संस्थाओं में न्यास का प्रतिनिधित्व करना।
५. न्यास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्णकालिक/अंशकालिक व्यक्तियों को नियुक्त करना एवं उनका पारिश्रमिक एवं मानदेय निश्चित करना आदि।

(३)२. **अध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार:**

१. न्यास को सुचारू रूप से चलाना।
२. आवश्यकतानुसार न्यास की बैठक बुलाने के लिए मंत्री को निर्देशित करना।
३. कार्यसमिति एवं प्रन्यासीमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना।

(३)३. **उपाध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार:**

१. न्यास को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना।
२. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना।

(३)४. **मंत्री के दायित्व एवं अधिकार:**

१. अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार समय-समय पर कार्यसमिति एवं प्रन्यासीमंडल की बैठक बुलाना।
२. बैठक की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना।
३. बैठक में रखे प्रस्तावों एवं सुझावों हेतु आवश्यक प्रपत्र संकलित करना।
४. न्यास के द्वारा या न्यास के विरुद्ध चलने वाले न्यायिक कार्यों की पैरवी करना अथवा इस हेतु किसी को अधिकृत करना।

(३)५. **वित्त नियंत्रक के अधिकार एवं कर्तव्य:**

१. वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि वह न्यास के हिसाब किताब को उचित ढंग से रखे। हिसाब-किताब से सम्बन्धित सम्पूर्ण आलेखों तथा कागजों को वह उचित ढंग से रखेगा तथा प्रति वर्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार से हिसाब किताब का अंकेक्षण कराकर प्रन्यासी मंडल के समक्ष रखेगा।

२. बैंक से न्यास कार्य हेतु संपर्क रखना एवं धनराशी की व्यवस्था करना।

३. समय-समय पर कार्यसमिति अथवा प्रन्यासीमंडल को वित्त से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध कराना।

(३)६. **सह मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य:**

१. मंत्री के अनुपस्थिति में मंत्री द्वारा किये जाने वाले सभी कार्य करना।

२. अन्य सभी कार्य जोकि अध्यक्ष द्वारा बताये जायें पूर्ण करना।

(३)७ **सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य:**

१. समय-समय आहुत कार्यसमिति की बैठकों में उपस्थित रहना।

२. न्यास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सुझाव रखना।

३. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष द्वारा दिये गये कार्यों को पूर्ण करना आदि।

(४) कार्यसमिति के कार्यकाल के मध्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा प्रन्यासीमण्डल में से किसी एक सदस्य को नामित करके की जायेगी।

(५) किसी भी विवाद की दशा में अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का सामूहिक निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। सामूहिक निर्णय ना हो पाने की दशा में कार्यसमिति द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।

७. संस्था के उपरोक्त कार्यों को सुचारू रूप से चलाने तथा न्यास के समुचित प्रबन्धों के लिए प्रन्यासी मण्डल को निम्न अधिकार होंगे

(१) संस्था के धन का उपयोग संस्थान के समस्त उद्देश्यों अथवा किसी एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यय करने का अधिकार होगा संस्थान के शेष अतिरिक्त धन का विनियोग आयकर कानून १९६१ के अनुसार किया जायेगा।

(२) संस्थान के लिये दान, भेंट में धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त कर उसको पूँजी के रूप में प्रयोग करना अथवा संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करना।

(३) संस्थान की सम्पत्ति को किराये, लीज आदि पर देना। चल-अचल, दर्शनीय -अदर्शनीय, सम्पत्ति के सम्पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों उनसे प्राप्त लाभों तथा उनकी व्यवस्था का अधिकार होगा। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास की किसी भी सम्पत्ती को बेचना आदि।

(४) संस्थान के कोष को प्रन्यासी मंडल के निर्देशानुसार समय-समय पर विनियोग करना, उसको निकालना, दूसरे स्थान पर विनियोग करना एवं विनियोग धन को वापिस प्राप्त करना आदि।

(५) किसी भी प्रकार के विवाद में आवश्यकतानुसार निर्णय लेना एवं विवाद हल न होने पर या न्यास के समापन पर न्यास की सम्पत्ति को प्रन्यासी मण्डल के बहुमत से केवल समउद्देश्य वाली पंजीकृत संस्था को ही हस्तान्तरित करना।

(६) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक, संस्था, व्यक्ति, प्रन्यासीगण एवं कम्पनियों से ऋण प्राप्त करना एवं इस निमित्त संस्था की जमीन जायदाद को गिरवी, रहन रखना आदि।

८. **कुछ अन्य नियम** :

(१) संस्थान के प्रथम २ वर्षों के लिए सर्वश्री वी० रावत एण्ड एसोसिएट्स, गा०बाद को अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। पारिश्रमिक का निर्धारण कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा।

(२) न्यास का धन किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी/शेडयूल्ड बैंक में रखा जायेगा। खाते के संचालन का अधिकार न्यास के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक को संयुक्त रूप से रहेगा। इनमें से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से धन निकाला जा सकेगा।

(३) संस्था की सम्पत्ति का क्रय विक्रय अथवा किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र पर संस्था की ओर से मंत्री अथवा एक प्रन्यासी जिसको कार्यकारिणी समिति मनोनीत करेगी, के हस्ताक्षर होंगे।

(४) संस्था को हुई हानि के लिए कोई प्रन्यासी अथवा प्रन्यासी मंडल का पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से तब तक उत्तरदायी नहीं माना जायेगा जब तक यह सिद्ध नहीं होगा कि उसने निहित स्वार्थवश जानबूझकर संस्था को हानि पहुँचायी है।

(५) संस्था के नियमों आदि की परिभाषा के सन्दर्भ में उत्पन्न विवाद में न्यास के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का सामूहिक निर्णय सभी को मान्य और अन्तिम होगा।

(६) न्यास के मनोनीत प्रन्यासी न्यास की स्थापना के पाँच वर्ष बाद ही अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रन्यासी मनोनीत करवा सकेंगे परन्तु ऐसे प्रस्तावित प्रन्यासी को प्रन्यासी मण्डल में लेने का अन्तिम निर्णय अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सामूहिक रूप से किया जायेगा। किसी भी प्रन्यासी की मृत्यु होने एवं उसके द्वारा अपने उत्तराधिकारी का लिपिबद्ध न्यास के पास ना होने की दशा में न्यास द्वारा पहले उसकी पत्नी अथवा पति को और उनके भी ना रहने पर उसके ज्येष्ठ पुत्र को मनोनीत

किया जायेगा। किसी भी दशा में प्रन्यासी मंडल के सदस्यों की संख्या ३१ से अधिक नहीं होगी। विवाद की स्थिति में कार्यसमिति द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। न्यास के निर्माण कर्ता अजीवन न्यास के कार्यरत प्रन्यासी माने जायेंगे। न्यास के प्रथम अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष प्रन्यासी रहने तक न्यास की कार्यसमिति के सदस्य होंगे।

(७) न्यास के समस्त सम्पत्ति और आय का उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा लाभांश, सुविधा, अनुग्रह आदि के रूप में अथवा संस्थान की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के किसी भी अंश मात्र को भी प्रन्यासीगणों को ना तो प्रदान और ना ही स्थान्तरित किया जा सकेगा। आयकर अधिनियम और देश के कानून के अनुसार माने जाने वाले निहित स्वार्थी [Interested Persons] वाले लोगों को भी यह नहीं हो सकेगा परन्तु संस्थान की उसके हितार्थ सेवा करने वाले कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों एवं प्रन्यासीगणों को सेवा कार्य के आधार पर समय-समय पर वेतन पारिश्रमिक आदि प्रदान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा इस वेतन पारिश्रमिक का निर्णय किये गये कार्य तथा कार्य करने वाले की योग्यता के आधार पर समय समय पर कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा। प्रन्यासीगणों द्वारा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिये जाने वाले ऋण पर न्यास द्वारा ब्याज दिया जा सकेगा।

(८) न्यास के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन प्रन्यासी मंडल के २/३ बहुमत द्वारा ही किया जा सकेगा।

(९) न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष रहेगा।

९. **सदस्यता समाप्ति** : निम्न कारणों से किसी भी प्रन्यासी की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(१) त्याग-पत्र देने तथा उसके स्वीकृत होने पर अथवा मृत्यु होने पर।

(२) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर अथवा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित होने पर।

(३) पागल घोषित होने पर।

(४) न्यास के हितों के विपरीत कार्य करने पर प्रन्यासी मंडल द्वारा २/३ बहुमत के प्रस्ताव पारित होने पर।

१० **न्यास भंग होने पर** : प्रन्यासी मंडल द्वारा ३/४ प्रन्यासीगणों के निर्णय से न्यास को भंग किया जा सकेगा। न्यास भंग होने पर न्यास की समस्त देनदारियों का भुगतान करने के उपरान्त शेष धन तथा चल-अचल सम्पत्ति को किसी दूसरी अथवा अनेक समान उद्देश्य वाली संस्थाओं को प्रदान किया जायेगा। इसका निर्णय भी प्रन्यासीमंडल द्वारा ३/४ बहुमत से किया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान की सम्पत्ति को प्रन्यासी मंडल के सदस्यों में नहीं बांटा जा सकेगा।

११. **बैठक** (१) प्रन्यासी मंडल की वर्ष में कम से कम २ बार बैठक अवश्य होगी।
(२) कार्यसमिति की वर्ष में कम से कम ६ बार बैठक अवश्य होगी।

विशेष : ट्रस्ट और न्यास तथा ट्रस्टी और प्रन्यासी पर्यायवाची शब्द है।

अतः इस अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर मैं विवेक मित्तल निवासी के०ई०-८१, कविनगर, गाजियाबाद इस न्यास की घोषणा करता हूं।

स्थान : दिल्ली।
दिनांक : १९.१२.२००६

साक्षी :

हस्ताक्षर

1. Sh. Rajeev Singh Pundir
S/o Sh. Kazam Singh Pundir
R/o 121, Mansi Vihar Sanjay Nagar Sector-23 Ghaziabad U.P.
DL. No. R. 2018/NT/1238/2003

Identified by Self.

Chandra Prakash Srivastva
Advocate/1328/76
205, Shastri Nagar
Delhi-110 031.

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
17982	2006-2007	4

Ist Party न्यासकर्ता

IInd Party न्यासी

Witness गवाह

Ist Party

IInd Party

Ist Party न्यासकर्ता :- Vivek Mittal

IInd Party न्यासी :- Other

Witness गवाह Rajeev Singh, C.P.Srivastava

Certificate (Section 60)

Registration No.17,982 in Book No.4 Vol No 2,386
on page 39 to 47 on this date 19/12/2006 day Tuesday
and left thumb impressions have/has been taken in my presence.

Sub Registrar
Sub Registrar VIII
New Delhi/Delhi

Date 19/12/2006